

राजभाषा नियम 10(4) के तहत बीईएल के अधिसूचित कार्यालय

राजभाषा नियम 10(4) के तहत केंद्र सरकार के जिन कार्यालयों में कर्मचारियों हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे। इन नियम के अनुसार अब तक बीईएल की निम्नलिखित 7 यूनिटें और 6 कार्यालय भारत के राजपत्र में अधिसूचित हैं-

क्र.सं.	अधिसूचित यूनिट / कार्यालय	अधिसूचना की तारीख
01	कार्पोरेट कार्यालय	03.02.2007
02	गाज़ियाबाद	04.09.1984
03	पंचकूला	13.09.1995
04	कोटद्वार	13.09.1995
05	बेंगलूरु कॉम्प्लेक्स	28.09.2010
06	हैदराबाद	28.09.2010
07	पुणे	13.09.1995
08	नवी मुंबई	13.09.1995
09	क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली	10.04.2004
10	क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई	10.04.2004
11	क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता	27.10.2001
12	क्षेत्रीय कार्यालय, वैजाग	10.09.1999
13	सीआरएल, गाज़ियाबाद	31.03.2014
14	सीआरएल, बेंगलूरु	13.10.2015

Notified Offices of BEL under OL Rule 10 (4)

The names of the Central Government offices, the staff whereof have acquired a working knowledge of Hindi, shall be notified in the Official Gazette as per OL Rule 10(4). As of now, the following 7 Units and 6 Offices of BEL have been notified in the Official Gazette:

Sl.No.	Notified Unit / Office	Date of Notification
01	Corporate Office	03.02.2007
02	Ghaziabad	04.09.1984
03	Panchkula	13.09.1995
04	Kotdwara	13.09.1995
05	Bengaluru Complex	28.09.2010
06	Hyderabad	28.09.2010
07	Pune	13.09.1995
08	Navi Mumbai	13.09.1995
09	Regional Office, New Delhi	10.04.2004
10	Regional Office, Mumbai	10.04.2004
11	Regional Office, Kolkata	27.10.2001
12	Regional Office, Vizag	10.09.1999
13	Central Research Laboratory, Ghaziabad	31.03.2014
14	Central Research Laboratory, Bengaluru	13.10.2015